

राज भवन, लखनऊ

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8006/2023

दिनांक : नवम्बर 22, 2023


डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.), जो कि डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (संख्या 1 सन् 2009) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा-27 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंधिता पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल प्रथम ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 70 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालयक और सैद्धांतिक अधिकारी होता है, इसलिए अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, तटिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर समलक्ष्य निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 15.12.2023 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।